



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06082025-265236
CG-MH-E-06082025-265236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3510]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3510]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

संशोधित अधिसूचना

मुंबई, 5 अगस्त, 2025

यह अधिसूचना दिनांक 16/07/2025 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ 3250(अ) को प्रतिस्थापित करती है।

का.आ. 3596(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20च (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से गुजरात राज्य में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में नामित अधिकारियों को सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकरणों के कार्य करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

क्रम सं.	मध्यस्थ अधिकारी	कब्जा एवं तहसील	विशेष रेल परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदिवासी विकास आयुक्त	अहमदाबाद	बारेजडी-नादेज(गेरतपुर)-साणंद (38.20 कि.मी.) के बीच चौथी लाइन की परियोजना
			गेरतपुर साणंद और बोटाद अहमदाबाद के बीच, 5 नई ब्रॉडगेज लाइन का इंटरसेक्शन परियोजना (16.51 कि.मी.)

[फा. सं. E -619607-04]

डी.आर .चौधर मुख्य परियोजना प्रबंधक-निर्माण/III

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****CORRIGENDUM NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th August, 2025

This notification supersedes the Notification S.O. 3250(E), published on 16/07/2025.

S.O. 3596(E).—In exercise of the powers conferred by clause 20F (6) of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorised the officers nominated in column (2) of the Table below to act as an Arbitrator to perform the functions of such authorities under the said Act in respect of Special Railway Project as mentioned in column (4) of the table below in the state of Gujarat with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Sr. no.	Arbitrator Officer	District	Name of the Special Railway project
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Commissioner of Tribal Development	Ahmedabad	4th line between Barejadi- Nandej (Geratpur)- Sanand (38.20 Kms) Project
			New Broad Gauge Line Intersection (5 NOS) between Geratpur-Sanand and Botad-Ahmedabad (16.51 Kms.)

[F. No. E -619607-04]

D. R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-III